



चैयतूगायता (आलोर) शासकीय महाविद्यालय फरसगाँव जिला-कोण्डागाँव (छ.ग.)

Email Id :- govtnaveencollegepharasgaon@gmail.com

College Code- 2303

Website :- www.govtcollegepharasgaon.in

क्रमांक / 41 / अतिथि व्याख्याता / 2024

फरसगाँव दिनांक 15/07/2024

—: अतिथि व्याख्याता एवं अतिथि शिक्षण सहायक के रूप में अध्यापन हेतु विस्तृत विज्ञापन :-

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर का पत्र क्रमांक 574/126/आउशि/राज.स्था./2024 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 06.07.2024 एवं छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 3-54/स्था./2020/38-1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 20.06.2024 के अनुसार चैयतूगायता (आलोर) शासकीय महाविद्यालय फरसगाँव जिला-कोण्डागाँव में विषय - इतिहास, अंग्रेजी एवं वाणिज्य संकाय में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 23/07/2024 को सायं 05.00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :-

- अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएँ तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
- आयु सीमा :- अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक।
- छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

विषय पदों का विवरण :-

क्रमांक	विषय	रिक्त पद एवं संख्या				
		प्राध्यापक	सह-प्राध्यापक	सह. प्राध्यापक	ग्रंथपाल	कीड़ाधिकारी
01	इतिहास	-	-	01	-	-
02	अंग्रेजी	-	-	01	-	-
03	वाणिज्य	-	-	01	-	-

टीप :- संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति /नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अतिथि शिक्षण सहायक की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी ।

शर्तें :-

01. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम.फिल. /पी.एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें ।
02. दिनांक 23/07/2024 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं । प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जाएगा। ई मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जायेगा।
03. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी ।
04. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 29/07/2024 को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा ।
05. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 31/07/2024 तक होगी ।
06. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 02/08/2024 को किया जावेगा जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जाएगा ।
07. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय /अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय /महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवाएँ समाप्त नहीं की गई है।
08. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

09. अतिथि व्याख्याताओं/अतिथि शिक्षण सहायक की सेवाएँ भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं होगा ।

10. अतिथि व्याख्याता के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा ।

क्रमांक	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ) 40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए			
1	40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए	400/-	300/-
2	चार कालखण्डों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/- (41600/- प्रतिमाह अधिकतम)	1200/- (30,000/- प्रतिमाह अधिकतम)
(ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिए			
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिए	500/-	350/-
4	चार कालखण्डों के लिये प्रतिदिन अधिकतम	2000/- (50,000/- प्रतिमाह अधिकतम)	1400/- (35,000/- प्रतिमाह अधिकतम)

11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता प्राचार्य वैद्यतूगायता (आलोर) शासकीय महाविद्यालय फरसगॉव जिला-कोण्डागॉव (छ.ग.) पिन- 494228 एवं आवेदित विषय /पद आवश्यक रूप से लिखें ।


12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जाएगा और वे लोक-सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं कहलाएंगे ।

13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी । जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी ।

14. इन्हे सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

15. कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम कीड़ा गतिविधियाँ, युवा उत्सव आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे ।

16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएँ तत्काल समाप्त की जा सकेंगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे ।


PRINCIPAL


चैयतूगायता (अग्रणी) शासकीय महाविद्यालय
फरसगॉव जिला-कोण्डागॉव (छ.ग.)

क्रमांक / 42 / अतिथि व्याख्याता / 2024

फरसगॉव दिनांक 15/07/2024

प्रतिलिपि :-

01. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लाक-3 द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
02. अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लाक-3 द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
03. क्षेत्रीय अपर संचालक उच्च शिक्षा बस्तर संभाग शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर को सादर सूचनार्थ ।
04. प्राचार्य (अग्रणी) शासकीय गुण्डाधुर पीजी महाविद्यालय कोण्डागॉव को सूचनार्थ ।
05. स्थापना शाखा / कम्प्यूटर फोल्डर / अतिथि व्याख्याता व्यवस्था शाखा चैयतूगायता आलोर शासकीय महाविद्यालय फरसगॉव जिला-कोण्डागॉव को सूचनार्थ ।


PRINCIPAL

चैयतूगायता (अग्रणी) शासकीय महाविद्यालय
फरसगॉव जिला-कोण्डागॉव (छ.ग.)